न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

विविध अपील वाद सं0– 02/2019–20

अपीलकर्त्ता – सोहराई उरांव टाना भगत पिता जागो उरांव टाना भगत
ग्राम गुनगुनियां, थाना कर्रा, जिला खूँटी।

विपक्षीगण – 1. मो0 नान्दो जौजे गोयन्दा उरांव
2. मो0 चन्दु जौजे भोसा उरांव
सभी ग्राम गुनगुनियां, थाना कर्रा, जिला खूँटी।

आदेश का क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
08.09.2023	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद सोहराई उरांव टाना भगत पिता जागो उरांव टाना भगत द्वारा अंचल अधिकारी, कर्रा के विविध पत्रांक 1242 दिनांक 20.01.2019 द्वारा विविद वाद सं0 07/2019–20 में पारित आदेश को संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया। अंचल अधिकारी, कर्रा के आदेश फलक के अनुसार जमीन का विवरण निम्नलिखित है:–	

ग्राम	थाना/थाना नं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
गुनगुनियां	कर्रा/139	50 50/1 50/2	98, 99 34,566	11.92 02.32 02.54 16.78

अंचल अधिकारी के द्वारा प्रेषित अभिलेख पर विविध अपील वाद सं0 02/19–20 प्रारम्भ किया। अभिलेख में संलग्न दस्तावेज एवं अंचल अधिकारी के आदेश फलक का अवलोकन किया। जो निम्नलिखित है:–

अंचल अधिकारी, कर्रा के विविध वाद सं0 07/2019–20 के आदेश फलक में अंकित है कि अपर समाहर्त्ता, खूँटी के पत्रांक 599/रा0 दिनांक 23.07.2019 के द्वारा आवेदक सोहराई उरांव टाना भगत वो0 बीसु उरांव टाना भगत ग्राम–गुणगुनीयया, थाना–कर्रा, जिला–खूँटी के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र में अनुरोध किया है कि मौजा गुणगुनीया थाना नं0 139, खाता नं0 50 के खतियानी रैयत का वंशज बतलाया गया है आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि रजिस्टर 2 के भोलुम नं0 01 पृष्ट सं0 63 रकवा 2.32 एकड़ भूमि बिना आधार की जमाबंदी मो0 नान्दो जौजे गोयन्दा उरांव का नाम चढ़ाकर पिछले कुछ वर्षो से रसीद निर्गत किया जा रहा है एवं पंजी 2 भोलुम नं0 01 पृष्ट सं0 64 रकवा 2.54 एकड़ भूमि बिना दाखिल–खारिज किये मो0 चन्दु जौजे भोसा उरांव का नाम चढाकर पिछले कुछ वर्षो से रसीद निर्गत किया जा रहा है। जो कानुन नजायज है। आवेदक का यह भी कहना है कि उनके पूर्वज के द्वारा आवेदित भूमि का किसी प्रकार का दान, बिक्री पत्र अथवा अन्य किसी तरीके से भूमि हस्तातरित नहीं किया गया है। पंजी 2 में मो0 नान्दो जौजे गोयन्दा उरांव एवं मो0 चन्दु जौजे भोसा उरांव के नाम से निर्गत रसीद को तत्काल रोकने का अनुरोध किया है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक और अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि मौजा गुनगुनिया, थाना नं0 139, खाता नं0 50 सर्वे खतियान में सोहराई महतो वगैरह के नाम से कुल रकवा 15.78 एकड़ भूमि दर्ज है। पंजी 2 में कायम

जमाबंदी का विवरण निम्न प्रकार है:–

खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा	रैयत का नाम	भोलुग नं0	पृष्ट सं0
50	–	11.92	बुधु उरांव, जागो उरांव गधु उरांव पिता सोहराई उरांव	01	62
50/1	–	2.32	मो0 नान्दो जौजे गोयन्दा उरांव	01	63
50/2	–	2.54	मो0 चन्दु जौजु भोसा उरांव	01	64
कुल रकबा		16.78 एकड़			

खाता नं0 50/1 कुल रकबा 2.32 एकड़ भूमि पंजी 2 में वर्ष 1977–78 से जमाबंदी कायम है। वर्ष 2013–14 तक लगान भुगतान की गई है साथ ही ऑनलाईन रसीद निर्गत हो रहा है। पंजी 2 में खाता सं0 50/2 कुल रकबा 2.54 एकड़ भूमि मो0 चन्दु जौजे भोसा उरांव के नाम पर दर्ज है। जमाबंदी वर्ष 1977–78 में कायम है परन्तु उपरोक्त दोनों जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। उपरोक्त भूमि के संबंध में राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने स्थानीय जाँच के क्रम में ग्रामीणों से पुछताछ किया गया ग्रामीणों के द्वारा बतलाया गया कि खाता नं0 50/1 कुल रकबा 2.32 एकड़ भूमि पर तेम्बा उरांव वो बिरसा उरांव पिता गोविन्दा उरांव का दखल कब्जा है खाता नं0 50/2 कुल रकबा 2.54 एकड़ भूमि पर भौसा उरांव के पोतागण सुकरा उरांव वगैरह का दखल कब्जा है। ग्रमीणों के द्वारा यह भी बतलाया गया कि उक्त जमीन का विवाद वर्षो से चला आ रहा है।

संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक और अंचल निरीक्षक के द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि खाता नं0 50 का सर्वे खतियान में कुल रकबा 15.78 एकड़ दर्ज है जबकि पंजी 2 में खाता नं0 50 में रकबा 11.92 एकड़, खाता नं0 50/1 में रकबा 2.32 एकड़ एवं खाता नं0 50/2 रकबा 2.54 एकड़ भूमि दर्ज है इस प्रकार पंजी 2 में उपरोक्त तीनों खाता का कुल रकबा 16.78 एकड़ दर्ज है। खतियानी रकबा एवं पंजी 2 रकबा में भिन्नता है। प्रथम पक्षों ने खतियान, कुर्सीनामा, सूचना का अधिकार, नोटिस मालगुजारी रसीद एवं अन्य कागजात प्रस्तुत किये है। द्वितीय पक्ष ने निबंधित केवाला सं0 317 दिनांक 05.03.1973 केवाला सं0 373 दिनांक 23.12.1964 एवं न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी धारा 144 द0प्र0स0 के अन्तर्गत वाद सं0 80/17 का आदेश की प्रति, रसीद (2017–18) ऑफलाईन रसीद वर्ष 2013–14, खतियान प्रस्तुत किया है। द्वितीय पक्ष द्वारा निबंधन केवाला की छाया प्रति तथा लगान रसीद (2013–14), (2017–18) की प्रति जमा की गई। विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष तेम्बा उरांव वो बिरसा उरांव पिता गोयन्दा एवं भोसा उरांव के पोतागण सुकरा उरांव वगै0 का दखल कब्जा है। सभी तथ्यों के अवलोकन से यह भूमि के स्वत्व का मामला प्रतित है। बिना सक्षम प्राधिकार/सिविल न्यायालय के आदेश के जमाबंदी में किसी प्रकार का परिवर्तन करना उचित नहीं होता है।

निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन करने के पश्चात् विधिवत् उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस भेजा गया। न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि को उभय पक्ष अदालत में उपस्थित हुए।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि डीड बनने से पूर्व CNT Act (U/S 46) 1908 के तहत परमिशन होना था। जो नहीं किया गया। सूचना अधिकार अधिनियम के प्राप्त सूचना अनुसार कोई कागजात अंचल कार्यालय में नहीं है। जगीन पर दखलकार नहीं है। खतियानी रैयत के वंशज है। लगातार खेतीबारी करता आ रहा

हुँ। विपक्षी 1971 का रसीद दिखाते है जबकि पूर्व से अर्थात् Deed से हाना चाहिए था जो नहीं। पुनः अधिकवक्ता का कहना है कि दाखिल खारिज हुआ ही नहीं है अवैध रूप से दावा कर रहे है। प्रश्नगत भूमि का खतियानी रैयत के वंशज है। 1981 तक कोई भी कभी दावा नही किया गया है। विपक्षी न0 2 मो0 चन्दु जौजे भोसा उरांव के पास कोई कागजात नहीं है। विविध वाद सं0 07/19–20 को भी कोई कागजात नहीं दिया गया है। रसीद 1981 से मात्र 11.92 एक का मिल रहा है। सी0एन0टी0 एक्ट जब से लागु हुआ तभी से अनुमति लेकर बिक्री किया जाता था। वाद सं0 96R8 II/36-37 की छायाप्रति जो Section 46 (6) का आदेश की कॉपी दाखिल किया गया है। खतियान के खाता 50 के खतियान के वंश में लोहरा उरांव नहीं आते है। चन्दु उरांव जौजे भोसा उरांव इस खाता से संबंधित नहीं है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि सूचना अधिकार के ज्ञापांक 709 दिनांक 10.09.18 में प्राप्त सूचना की प्रति अनुसार अपना बात रखते है। सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46 के अनुसार अनुमति प्राप्त कर खरीद बिक्री किया गया है। आदिवासी भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। 1937 से 1947 के बीच अनुमति नहीं लिया जाता था। विपक्षी क्रम सं0 01 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि छायाप्रति दाखिल किया गया है। अभिप्रमाणित प्रति नहीं है जिसे सत्य नहीं माना जा सकता है। यह छायाप्रति Section 46 I (a) के आधार पर अनुमति प्राप्त कर बेचा जा सकता है। Section 46 (6) Cast के संबंध में वर्णित है। 1943 में भूमि हस्तांतरित किया गया है। Cr.PC 144 में अनुमण्डल का आदेश मे दखल मेरा है।

विपक्षी क्रम 02 के विद्वान अधिवक्ता खतियानी रैयत के वंशज है। लोहरा महतो का वंशज 2.54 एकड़ भूमि मेरा दखल कब्जा में है। प्रश्नगत के खाता प्लॉट 2. 54 ए0 भूमि खतियानी रैयत लोहरा महतो के वंशज के रूप में जमीन को जोत अबाद करते आ रहे है। अंचल अधिकारी का जाँच में यह बात सामने आयी है कि खाता 50 का 2.54 एकड़ जमीन का रसीद नहीं है जमाबंदी कायम नहीं है। अंचलाधिकारी ने जाँच पड़ताल कर उत्तराधिकारी दाखिल खारिज किया है।

उभय पक्ष के दलिलों को सुना एवं अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन को देखने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि यह मामला हक हकियत से संबंधित है। जो सक्षम न्यायालय के द्वारा ही निर्णय किया जा सकता है। अंचल अधिकारी के विविध वाद सं0 07/2019–20 में पारित आदेश से सहमत होते हुवे आवेदक के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

08/09/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

08/09/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by ARVIND KUMAR OJHA
Date: 2023.12.04 12:15:08 +05:30
Location: 192.168.1.101